



मथुरा पुलिस



थाना- वृन्दावन जनपद मथुरा ।

OPERATION CONVICTION

दिनांक:- 26.02.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में मथुरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर घर से भगा ले जाना व गलत काम करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 15000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ०प्र० द्वारा प्रदेश भर में चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र आगरा व श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा निरन्तर समीक्षा एवं मार्ग दर्शन दिया जा रहा था । मथुरा पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से थाना वृन्दावन मथुरा पर पंजीकृत मु०अ०सं० 115/2022 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में आज दिनांक 26.02.2026 को मा० न्यायालय एडीजे/स्पेशल पोक्सो एक्ट, मथुरा द्वारा इस प्रकरण में विचारण करते हुए साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त नमन कुमार पुत्र प्रसादी निवासी रामपुर आशू सन्डीला थाना सन्डीला जिला हरदोई को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 15000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



अल्का उपमन्यू
ADGC- MATHURA



उ०नि० कमल किशोर
(विवेचक)



है० का० हिमांशू यादव
(पैरोकार)